राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/जांच) विभाग

क्रमांक प.9(5)(30)कार्मिक/क–3/2004/पार्ट जयपुर, दिनांक :– 5 OCT 2018

स्पष्टीकरण

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.9(5)(25)कार्मिक/क–3/2001 दिनांक 26.06.2001 के द्वारा दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् राज्य सेवकों के दो से अधिक संतानों की संख्या में वृद्धि होने पर राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 में नियम 25(सी) जोडा जाकर राज्य सेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान किया गया, लेकिन उक्त नियम 25(सी) को अधिसूचना क्रमांक प.9(5)(30)कार्मिक/क–3/2004/पार्ट दिनांक 11.05.2016 के द्वारा विलोपित किया जा चुका है। राज्य सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि नियम 25(सी) के विलोपित होने के पश्चात उक्त नियम के अन्तर्गत दिये गये दण्ड का प्रभाव दिनांक 11.05.2016 के पश्चात् होने वाली पदोन्नतियों पर प्रभावी होगा या नहीं।

राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के नियम 25(सी), जिसे दिनांक 11.05.2016 को विलोपित किया जा चुका है, के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त नियम 25(सी) के अंतर्गत दिनांक 11.05.2016 या उसके पूर्व में दण्ड दिया गया है तब ऐसे दण्डादेश का प्रभाव दिनांक 11.05.2016 के पश्चात होने वाली पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष 2016–17 (यदि दिनांक 11.05.2016 के पश्चात् आयोजित हुई है) या उसके पश्चात्वर्ती पदोन्नति वर्षो में दिये गये दण्ड का प्रंभाव शून्य माना जावे, लेकिन 11.05.2016 से पूर्व की गई पदोन्नतियों पर यह स्पष्टीकरण प्रभावी नहीं होगा।

(जय सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
2. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव।
3. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।
5. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक
6. कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग
7. रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव